तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरेश बनाम राज० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 05/02/25 को पेश हो। (sd)	
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/02/25 को पेश हो। Bharti	
12/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 24/02/2025 को पेश हो। Bharti	
24/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 20 / 2023

1. नरेश कुमार पुत्र महाराजसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

....................प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–24.02.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 74 रकवा 0.43हे0 वाके ग्राम शेरी खुर्द तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के अलावा मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों की सहखातेदारी की अन्य आराजी और है जोकि शेरी खुर्द एवं नगला बीजा में स्थित है उक्त आराजी का हम प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य मनबट के आधार पर बंटवारा हो गया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 74 मुझ प्रार्थी को मनवट विभाजन में मिला है तथा उक्त मनवट के आधार पर प्रार्थी खसरा नम्बर 74 पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 74 करवा 0.43 किस्म गै0मु0नदी जमाबन्दी सम्बत् 2075–2078 में खाता संख्या 73 पर दर्ज है जबकि पूर्व में इस आराजी की किस्म सैराबी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त आराजी की किस्म सैराबी के स्थान पर गै0मु0नदी गलत दर्ज हो गयी है जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। उक्त शुद्धि को कराने हेतु तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने साफ तौर से इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.07.2024 को अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मुताबिक जांच हल्का पटवारी वाके ग्राम शेरी खुर्द में जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 में खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 74/0.43 किस्म गै.मु.नदी नरेश कुमार पुत्र महाराजसिंह हि. 1/24 जाति जाट वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड है हाल खसरा नम्बर 74/0.43 का साविक खसरा नम्बर 64/2-13बीघा है। हाल खसरा नम्बर 74 की जमाबंदी संबत् 2075-78 में किस्म गै.मु.नदी है। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी संवत् 2012 से 2016 में साविक ख.नं. 64 की किस्म सैरावी दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025, 2026-29, 2030 से 2033, 2034-2037, 2042-45, 2046-49, 2050-53, 2054-57, 2062-65, 2066-69, 2070-73 की जमाबंदी में उक्त साविक खसरा नम्बर 64 की किस्म गै.मु.नदी दर्ज है। प्रार्थना पत्र अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि विवादित आराजी नगला बीजा में स्थित है पुरानी जमाबंदी में विवादित आराजी की किस्म सैराबी दर्ज है लेकिन हाल जमाबंदी मे किस्म गैर मुमकिन नदी बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है जो कि खिलाफ कानून है। किस्म को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जवाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 2016 से 2022 तक की जमावंदी पेश नहीं की गई है जिससे की यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कैसे एवं कब हुआ। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रार्थना पत्र अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य वताया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है।

अतः आदेश है:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested